



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-15042026-271832
CG-OR-E-15042026-271832

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1838]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 15, 2026/चैत्र 25, 1948

No. 1838]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 15, 2026/CHAITRA 25, 1948

रेल मंत्रालय

[पूर्व तट रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 15 अप्रैल, 2026

का.आ. 1907(अ).— केंद्र सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड 7 (क), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, ओडिशा राज्य में एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के मद सं. 2 में वर्णित अधिकारी को मद सं. 3 में उल्लिखित विशेष रेल परियोजना के क्षेत्र से संबंधित, इस तरह के कार्य करने के लिए, सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत करती है।

सारणी
विशेष रेल परियोजना

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	जाजपुर क्योँझर रोड के भूमि अधिग्रहण अधिकारी को "जाजपुर और अराडी होते हुए जाजपुर क्योँझर रोड और धामरा पोर्ट के बीच नई लाइन (101.26 किमी)" के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु निर्देश दिया जाता है।	ओडिशा

(फा. सं. ईस्ट कोस्ट रेलवे/सीई/कॉन/III/बीबीएस/एलए/ जाजपुर और अराडी होते हुए जाजपुर क्योँझर रोड और धामरा पोर्ट) सुधीर कुमार परिदा, मुख्य अभियन्ता, (निर्माण-III)

MINISTRY OF RAILWAYS
[East Coast Railway (Construction)]

NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 15th April, 2026

S.O. 1907(E).— In exercise of the powers, conferred by Clause 7(A) of Section-2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) the Central Government hereby authorize the officer mentioned in column (2) of the Table below as the Competent Authority to perform the function of such authority under said Act in respect of area of the Special Railway Project mentioned in column (3) of the Table below in the state of **Odisha** with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE
Special Railway Project

SI No	Name of the Project	State/UT
(1)	(2)	(3)
1	Land acquisition officer, Jajpur Keonjhar Road for Land acquisition of "New line between Jajpur Keonjhar Road & Dhamra Port via Jajpur & Aradi (101.26Km)".	Odisha

[F. No. ECoR/CE/CON/III/BBS/LA/ New line between Jajpur Keonjhar Road & Dhamra]
SUDHIR KUMAR PARIDA, Chief Engineer (Con-III)